संख्या-273/2025/228/22-2-2024-17(212)/2024

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक: 21 मार्च, 2025

विषय: केन्द्रीय कारागार फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बच्चू पुत्र श्री नसीर मोहम्मद, निवासी जिला-फिरोजाबाद की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-2599/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-12-01-2024) दिनांक-29-01-2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बच्चू पुत्र श्री नसीर मोहम्मद, जो खेडिया, थाना-एका, जिला-फिरोजाबाद का निवासी है। दिनांक 10/11.10.2003 की रात्रि में बन्दी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कु० नीतू उम्र 15 वर्ष के साथ बलात्कार करने के उपरान्त दुपट्टे से गला दबाकर हत्या कर शव नीम के पेड़ पर दुपट्टे से लटका दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एसटी नं0-682/2004, भा0द0वि0 की धारा-363, 302/34, 201, 376(2)(जी) आईपीसी में मा० अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं०-08, एटा के आदेश दिनांक 13.12.2006 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 19.12.2018 द्वारा बंदी की अपील निर्णीत करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया । बंदी द्वारा दिनांक 23.11.2023 तक अपरिहार 17 वर्ष, 03 माह, 04 दिन तथा सपरिहार 22 वर्ष, 01 माह, 07 दिन की सजा भोगी गयी है।

3- जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई पर बाहर आने पर शांति व्यवस्था भंग होने की सम्भावना से इंकार नहीं किये जाने, बंदी के जेल से बाहर आने पर दोनों पक्षों में प्रतिद्वदिता के कारण शांति व्यवस्था भंग हो सकती है, ऐसी स्थिति में बदी का कारागार में निरूद्ध रहना आवश्यक होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि दिनांक 10/11.10.2003 की रात्रि में बन्दी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कु० नीतू उम्र 15 वर्ष के साथ बलात्कार करने के उपरान्त दुपट्टे से गला दबाकर हत्या कर शव नीम के पेड़ पर दुपट्टे से लटका देने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी बच्चू पुत्र श्री नसीर मोहम्मद को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

5- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बच्चू (बन्दी संख्या-21138) पुत्र श्री नसीर मोहम्मद, निवासी जिला-फिरोजाबाद को यू०पी० प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की फार्म-ए/लाइसेंस पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-273/2025/228(1)/22-2-2024 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रि0) सं0-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन(क्रिमि0) सं0-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-273/2025/228/22-2-2024-17(212)/2024

दिनांक: 21 मार्च, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बच्चू पुत्र श्री नसीर मोहम्मद, जो खेडिया, थाना-एका, जिला-फिरोजाबाद का निवासी है। दिनांक 10/11.10.2003 की रात्रि में बन्दी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कु० नीतू उम्र 15 वर्ष के साथ बलात्कार करने के उपरान्त दुपट्टे से गला दबाकर हत्या कर शव नीम के पेड़ पर दुपट्टे से लटका दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एसटी नं0-682/2004, भा0द0वि0 की धारा-363, 302/34, 201, 376(2)(जी) आईपीसी में मा० अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं०-08, एटा के आदेश दिनांक 13.12.2006 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 19.12.2018 द्वारा बंदी की अपील निर्णीत करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया । बंदी द्वारा दिनांक 23.11.2023 तक अपरिहार 17 वर्ष, 03 माह, 04 दिन तथा सपरिहार 22 वर्ष, 01 माह, 07 दिन की सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई पर बाहर आने पर शांति व्यवस्था भंग होने की सम्भावना से इंकार नहीं किये जाने, बंदी के जेल से बाहर आने पर दोनों पक्षों में प्रतिद्वदिता के कारण शांति व्यवस्था भंग हो सकती है, ऐसी स्थिति में बदी का कारागार में निरूद्ध रहना आवश्यक होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि दिनांक 10/11.10.2003 की रात्रि में बन्दी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कु० नीतू उम्र 15 वर्ष के साथ बलात्कार करने के उपरान्त दुपट्टे से गला दबाकर हत्या कर शव नीम के पेड़ पर दुपट्टे से लटका देने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी बच्चू पुत्र श्री नसीर मोहम्मद को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बन्दी की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।